

अपराधिक न्याय प्रणाली

प्रलिस के लिये:

[अनुच्छेद 246](#), राज्य सूची, [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973](#), [सत्र न्यायाधीश](#), [जेल प्रणाली](#), [व्यावसायिक प्रशिक्षण](#), [उच्च न्यायालय](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [फास्टट्रैक न्यायालय](#), [मानवाधिकार](#), [जमानत](#), [भारतीय वधिआयोग](#), [कानूनी सहायता](#) ।

मेन्स के लिये:

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल खामियाँ और उन्हें दूर करने के उपाय ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बलात्कार के एक मगदंत आरोप और उसके बाद कारावास की सज़ा ने हमारे कानून प्रवर्तन तंत्र में कई प्रणालीगत कमियों तथा सामाजिक जटिलताओं को उजागर किया है, जनि पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली (CJS) कैसी है?

परचिय:

- किसी भी राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली, **आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिये सरकारों** द्वारा स्थापित एजेंसियों और प्रक्रियाओं का समूह है, जिसका उद्देश्य **अपराध** को नयितरति करना तथा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को **दंड** देना है ।
- भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली 1860 में लागू **भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC)** पर आधारित है ।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 246** में **पुलिस**, **सार्वजनिक व्यवस्था**, **न्यायालय**, **जेल**, **सुधारगृह** और अन्य संबद्ध संस्थाओं को **राज्य सूची** में रखा गया है ।
 - हालाँकि, **संघीय कानूनों** का पालन पुलिस, न्यायपालिका और सुधार संस्थानों द्वारा किया जाता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल अंग हैं ।

CJS की संरचना: इसमें चार मुख्य स्तंभ शामिल हैं ।

- पुलिस द्वारा जाँच:** **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973** की धारा 161 जाँच अधिकारी को संबद्ध मामले के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्त से पूछताछ करने और उनका बयान दर्ज करने की अनुमत देती है ।
- अभियोक्ताओं द्वारा मामले का अभियोजन:** **अभियोक्ता** अभियुक्त पर अपराध का आरोप लगाते हैं और न्यायालय में यह सदिध करने का प्रयास करते हैं कविह दोषी है ।
- न्यायालय द्वारा दोष का नरिधारण:** न्यायालय अपने **वविकाधिकार** का उपयोग करते हुए, अपराधी की पृष्ठभूमि, और उसके **सुधार** की संभावना को ध्यान में रखते हुए दंडादेश देता है ।
- कारावास प्रणाली के माध्यम से सुधार:** भारत में कारावास का उपयोग **शिक्षा**, **श्रम**, **व्यावसायिक प्रशिक्षण** और **योग** व **साधना** के माध्यम से कैदी में **सुधार एवं उसके पुनरवास** के लिये किया जाता है ।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या चुनौतियाँ शामिल हैं?

- मामलों का लंबति रहना:** जुलाई 2023 तक, भारत के सभी न्यायालयों में **5 करोड से अधिक** मामले लंबति थे ।
 - इनमें से **87.4% अधीनस्थ न्यायालयों** में, **12.4% उच्च न्यायालयों** में लंबति है, जबकलिंगभग **1,82,000** मामले 30 वर्ष से अधिक समय से लंबति हैं । **सर्वोच्च न्यायालय** में लंबति मामलों की संख्या **78,400** थी ।
- न्यायिक रक्तियाँ:** भारत में **प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश** हैं, जो कप्रति दस लाख लोगों पर **50 न्यायाधीशों के दीर्घकालिक लक्ष्य** से कम है जिसके परिणामस्वरूप मामलों के नपिटान में वलिंब होता है ।
- फास्ट-ट्रैक कोर्ट के संबंध में धीमी प्रगत:** **फास्ट-ट्रैक कोर्ट** हमेशा पूर्ण क्षमता से कार्य करने में अक्षम रहा है ।

- नए न्यायालय आवश्यक बुनियादी ढाँचे और समरूपि न्यायाधीशों के साथ **फास्ट-ट्रैक उद्देश्यों** के लिये स्थापति नहीं किये जाते हैं।
- इसके बजाय, **मौजूदा न्यायालयों** को प्रायः **फास्ट-ट्रैक कोर्ट के रूप में नामति** किया जाता है, जिससे न्यायाधीशों को इन त्वरति मामलों के साथ-साथ अपने नयिमति केसलोड का प्रबंधन करना होता है।
- **पुलसि द्वारा शकतिका दुरुपयोग:** पुलसि पर प्रायः **अनुचति गरिफ्तारी, वधिविरुद्ध कारावास**, सदोष तलाशी, उत्पीडन, हरिसत में व्यक्तिके साथ हसिा और उसकी मृत्यु आदि का आरोप लगाया जाता है।
 - इसके अतरिकित, **नवारिक कानूनों** के आधार पर पुलसि की शकतिलगातार बढ़ती जा रही है।
- **जटलि तंत्र:** वर्तमान समय में न्याय तंत्र **बहुत जटलि** है और **हाशियाई समुदाय के व्यक्तियों** की पहुँच से यह बहुत दूर है।
 - समाज में **सुभेदय वर्ग** हमेशा उस प्रणाली में वंचति रहेंगे जो क्षमता नरिमाण की तुलना में संस्थागत व्यवस्था को प्राथमकिता देती है।
- **अनुमानति पूरवाग्रह:** भारतीय जेलों में **आदविसी, ईसाई, दलति, मुसलमि और सखि** समुदाय के व्यक्तियों की संख्या, कुल आबादी में उनके प्रतशित की तुलना में **बहुत अधिक** है।
- **कारावास में मानवाधिकारों का उल्लंघन:** अपराध स्वीकार कराने और अपराधों की जाँच करने के नाम पर, अधिकारी कैदियों को शारीरिक रूप से प्रताड़ति करते हैं।
 - महिलाओं के संदर्भ में **हरिसत में बलात्कार, छेड़छाड़** और अन्य प्रकार के **लैंगकि शोषण** के रूप में अत्याचार भी किये जाते हैं।

भारत में आपराधकि न्याय प्रणाली में कसि प्रकार सुधार कया जा सकता है?

- **ज़मानत में सुधार:** **"ज़मानत नयिम है और जेल एक अपवाद है"** एक न्यायकि सदिधांत है जिसका नरिणय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1978 में **217/78, 218/78, 219/78, 220/78, 221/78, 222/78, 223/78, 224/78, 225/78, 226/78, 227/78, 228/78, 229/78, 230/78** मामले में कया था।
 - अपनी **268वीं रपिर्ट** में, भारतीय **वधिआयोग** ने ज़ोर देते हुए कहा कि **नरिधि** की अवधि को **कम करने** के लिये तत्काल उपाय किये जाने की आवश्यकता है और यह नरिणय कया कि इसे रोकने के लिये **ज़मानत** से संबंधति कानून पर **पुनः वधिार** कया जाना चाहिये।
- **फास्ट-ट्रैक न्यायालयों को पुनः क्रयाशील करना:** इन न्यायालयों को **"वास्तव में फास्ट-ट्रैक"** बनाने के लिये लंबे समय से लंबति सत्र मामलों का **शीघ्र नपिटान** कया जाना चाहिये।
- **वधिकि सहायता में सुधार:** CJS की कार्य क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सामाजकि-वधिकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये युवा पेशेवरों को **प्रशकिषण** देने, उनका **मारगदर्शन** करने और उनकी **क्षमता का नरिमाण करने की आवश्यकता** है।
- **न्यायकि रक्तिधियों की पूर्ता:** **कारयात्मक और नषिपक्ष न्यायकि प्रणाली** को बनाए रखने के लिये न्यायकि रक्तिधियों की प्रभावी ढंग से पूर्ता करना महत्त्वपूर्ण है। इसके लिये अतरिकित ज़िला न्यायाधीशों और ज़िला न्यायाधीशों के सत्र पर न्यायाधीशों की भरती के लिये **अखलि भारतीय न्यायकि सेवा (AIJS)** का उपयोग कया जा सकता है।
- **दांडकि मामलों के प्रबंधन में कृत्रमि मेधा (AI) का अनुप्रयोग:** AI का उपयोग न्यायाधीशों द्वारा **ज़मानत, सज़ा और पैरोल** के संबंध में नरिणय लेने में मदद करने के लिये कया जा सकता है।
 - AI का उपयोग अपराधियों द्वारा **पुनः अपराध करने (Recidivism)** के जोखमि का आकलन करने के लिये कया जा सकता है।

सरकार द्वारा की गई संबंधति पहल:

- **न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिये राष्ट्रीय मशिन**
- **AI पोर्टल SUPACE**
- **पुलसि योजना का आधुनकिीकरण**
- **भारतीय न्याय (द्वतीय) संहति, 2023**
- **भारतीय नागरकि सुरकषा (द्वतीय) संहति, 2023**
- **भारतीय साकषय (द्वतीय) वधियक, 2023**

CJS में सुधार के लिये कौन-से आयोग गठति कये गए हैं?

- **राष्ट्रीय पुलसि आयोग (NPC):** इसने सफिरशि की कि **हरिसत में मृत्यु अथवा बलात्कार** के मामलों में **न्यायकि जाँच** की जानी चाहिये।
- **मलमिथ समति:** इसने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध जाँच के लिये एक **अलग पुलसि बल** की आवश्यकता की सफिरशि की।
- **अखलि भारतीय जेल सुधार समति (मुल्ला समति):** इसने जेलों के प्रशासन के लिये उचति और प्रशकिषति कर्मचारियों की भरती पर ज़ोर दिया तथा इस उद्देश्य के लिये एक सुधारात्मक सेवा स्थापति की जानी चाहिये।
- **कृषणन अययर समति:** इसने **महिला और बाल अपराधियों** से नपिटने के लिये पुलसि में **महिला कर्मधियों** की नयिकृत्की सफिरशि की।

भारत में पुलिस सुधार



संवैधानिक स्थिति:

- पुलिस एवं लोक व्यवस्था: राज्य सूची के विषय (7वीं अनुसूची)



सुधार की आवश्यकता:

- औपनिवेशिक कानून
- हिरासत में मौत
- जवाबदेहिता की कमी
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- लैंगिक संवेदनशीलता की खराब स्थिति
- सांप्रदायिक/जातिगत पूर्वाग्रह
- कोई अत्याचार विरोधी कानून नहीं



संबंधित डेटा:

- पुलिस-पीपल अनुपात: 153 पुलिस/100,000 लोग (वैश्विक बेंचमार्क: 222 पुलिस/100,000 लोग)
- हिरासत में मौतें: 2021-2022 में 175 (गृह मंत्रालय के अनुसार)
- महिलाओं की हिस्सेदारी: संपूर्ण बल का 10.5% (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021)
- अवसंरचना: 3 में से 1 पुलिस स्टेशन सीसीटीवी से लैस है (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021)



पुलिस सुधार पर महत्वपूर्ण समितियाँ/आयोग:



संबंधित पहलें:

- स्मार्ट पुलिसिंग (अखिल भारतीय)
- स्वचालित मल्टीमॉडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (AMBIS) (महाराष्ट्र)
- रियल टाइम विज़िटर मॉनिटरिंग सिस्टम (ए.आई. और ब्लॉकचेन आधारित) (आंध्र प्रदेश)
- साइबरडोम (टेक आर एंड डी सेंटर) (केरल)



पुलिसिंग के साथ चुनौतियाँ:

- निम्न पुलिस-जनसंख्या अनुपात
- राजनीतिक अधिरोपण
- असंतोषजनक पुलिस-पब्लिक संबंध
- इन्फ्रा घाटा
- भ्रष्टाचार
- कम कर्मचारी/अत्यधिक भार

आगे की राह:

- ↑ पुलिस बजट, संसाधन
- ↑ भर्ती प्रक्रिया
- भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय लागू करें
- ↑ पुलिसकर्मियों का कौशल
- बेहतर प्रतिनिधित्व (महिलाएँ, अल्पसंख्यक)



//

CJS के सुधार से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या हैं?

- [\[REDACTED\]](#), 2006 : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय कयिा कफुलसि के कारुय पर नज़र रखने हेतु प्रत्येक राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग स्थापति कयिा जाना चाहयि ।
- [\[REDACTED\]](#), 2007 : इसमें नरिणय कयिा गया कभिले ही कैदयिों की स्वतंत्रता और उनके मुक्त आवागमन का अधकार प्रतर्बिधति हो कतिु उन्हें **स्वस्थ जीवन नरिवाह करने का मूल अधकार** है ।
- [\[REDACTED\]](#), 1988 : यह अभनिरिधारति कयिा गया कजिल में कैदयिों को उनके द्वारा कयिा जाने वाले कारुय अथवा श्रम का **उचति वेतन** दयिा जाना चाहयि ।
- [\[REDACTED\]](#), 1979 : वचिाराधीन कैदयिों को उनकी सज़ा से ज़ुयदा समय तक जेल में रखना **अनुच्छेद 21** के तहत गारंटीकृत उनके मूल अधकारों का **स्पष्ट उल्लंघन** है ।
- [\[REDACTED\]](#), 1980 : इसमें यह नरिणय कयिा गया क**हथकड़ी लगाने की प्रथा अमानवीय, अनुचति और कठोर** है और इसलयि कसिी अभयिुक्त वुयकृती को प्रथमतः हथकड़ी नही लगाई जानी चाहयि ।

नषिकरुषः

भारतीय दांडकि नुयय प्रणाली को बड़ी संखुया में लंबति मामलों, अकृषमता, संसाधनों की कमी, अनुपयुक्त बुनयिादी ढाँचे और कर्मुयिों के लयिे अपरुयाप्त प्रशकृषण जैसी चुनौतयिों का सामना करना पड़ रहा है । हालींक, इस प्रणाली में वशिषकर हाशयिाई समुदाय के वुयकृतीयों के लयिे नुयय कर्बेहतर पहुँच सुनशिचति करते हुए इसे बेहतर बनाने के प्रुयास कयिा जा रहे हैं ।

दृषुट भेनुस प्रशुनः

प्रशुन. भारत में दांडकि नुयय प्रणाली की हाल ही में हुई वफिलताओं और कर्मुयिों के प्रुकाश में इसमें सुधार करना आतुयावश्यक हो गया है । कुया आप इस मत से सहमत हैं?

UPSC सविलि सेवा परीकृषा, वगित वरुष के प्रशुन

प्रशुन. भारत में उचुचतर नुययपालकिा में नुययाधीशों की नयिुकृती के संदरुभ में 'राषुटरीय नुययकि नयिुकृती आयोग अधनियिम, 2014' पर सर्वोच्च नुययालय के नरिणय का समालोचनातुमक परीकृषण कीजयि । (2017)